Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682
E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

संख्या
No. 15-25(80)/2018-विज.

दिनांक 22/08 अप्रैल, 2019

स्पीड पोस्ट/SPEED POST

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

सेवा में,
To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख

विषय: <u>प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा सतर्कता नियमावली का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने विषयक</u>

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सीएसआईआर के माध्यम से प्राप्त कई मामलों में सीवीसी ने यह देखा है कि सीएसआईआर की यूनिटें मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास मामलों को न भेजकर सीवीओ के परीक्षण के बिना मामलों को स्वयं बंद करने का निर्णय ले रही हैं, जो कि स्वीकार्य कार्य- पद्धति नहीं हैं।

अतः प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रमुखों को यह सलाह दी जाती है कि वे सतर्कता नियमावली के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करें। यह प्रतीत होता है कि प्रयोगशालाएं/संस्थान मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास मामलों को न भेजकर सीवीओ की जांच/ परीक्षण के बिना मामलों को स्वयं बंद करने का निर्णय ले रहे हैं, जो कि स्वीकार्य कार्य-पद्धति नहीं हैं।

अतः अनुरोध है कि अब से आगे किसी भी सतर्कता मामले पर संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा अपने स्तर पर आरंभ/बंद की गई जांच को इस मामले में किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले इसकी जांच के बाद सलाह हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेजा जाए। कृपया इसे सूचना एवं सख्ती से अनुपालन हेतु सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

भवदीय

(लेफ्टिनेंट कर्नल राणा विक्रम सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
2. संयुक्त सचिव , सीएसआईआर का कार्यालय
3. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
4. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (आईटीडी) –इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु
5. कार्यालय प्रति